

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 242]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 16 मई 2012—वैशाख 26, शक 1934

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 मई 2012

क्र. एफ.-3-83-2001-दस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य वन (राजपत्रित) संबद्ध सेवा के सदस्यों की भर्ती तथा सेवा शर्तों से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ .—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राज्य वन (राजपत्रित) संबद्ध सेवा भर्ती नियम, 2011 है.

(2) ये “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषायें .—इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) सेवा या पद के संबंध में “नियुक्ति प्राधिकारी” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(ख) “आयोग” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग;

(ग) “परीक्षा” से अभिप्रेत है, नियम 11 के अधीन सेवा में भर्ती के लिए संचालित प्रतियोगिता परीक्षा;

(घ) “सरकार” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(ङ) “राज्यपाल” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल;

(च) “अनुसूची” से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(छ) “अनुसूचित जाति” से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा कोई जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का समूह, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है.

(ज) “अनुसूचित जनजाति” से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का समूह, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

- (झ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5/पच्चीस/4/84 दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग ;
- (ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य वन (राजपत्रित) संबद्ध सेवा ;
- (ट) "राज्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य ।

3. विस्तार तथा लागू होना :-

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम अनुसूची-एक में यथा उल्लेखित सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे ।

4. सेवा का गठन — सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

- (1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हों ;
- (2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने से पूर्व, सेवा में भर्ती किये गये हों;
- (3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों ।

5. सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान आदि —

सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची-एक में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार होगी ;

परन्तु सरकार, समय-समय पर, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी ।

6. भर्ती का तरीका — (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :-

- (क) सीधी भर्ती द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से, या साक्षात्कार द्वारा या दोनों द्वारा,
- (ख) अनुसूची-चार में यथा उल्लेखित सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा
- (ग) अन्य सेवा में से व्यक्तियों के स्थानान्तरण/ प्रतिनियुक्ति/ संविलियन द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को या तो मूल रूप से या स्थानापन्न रूप से धारण करते हों ।
- (2) उपनियम (1) के खण्ड (क), खण्ड (ख), या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, किसी भी समय अनुसूची-"एक" में उल्लेखित पदों की संख्या के अनुसूची-दो में दर्शाये गये प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।
- (3) इन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, भर्ती की किसी भी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा के किसी भी विशेष पद

या पदों को भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, आयोग के परामर्श से, अवधारित की जाएगी।

- (4) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति अधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करना अपेक्षित हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी लोक सेवा आयोग के पद या सेवा की अधिकारिता के बारे में सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से, उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भर्ती के तरीकों से भिन्न ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगा, जो वह इस निमित्त जारी किए गए आदेश द्वारा विहित करे।
7. सेवा में नियुक्ति — इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियाँ, आयोग द्वारा की जाएगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।
8. सीधी भर्ती की पात्रता की शर्तें — सीधी भर्ती/परीक्षा/ चयन में पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :-
- (1) आयु — (क) अभ्यर्थी ने परीक्षा/ चयन प्रारंभ होने की तारीख की आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची-तीन के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त कर ली हो, और उक्त अनुसूची की कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;
- (ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों का है तो, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (ग) उन अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु सीमा जो, मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हों अथवा कर्मचारी रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तक तथा शर्तों के अध्वधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी :-
- (एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी सरकारी सेवक हो, सामान्य वर्ग 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;
- (दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, सामान्य वर्ग 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की 45

वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों के लिये भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्त कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :- शब्द "छटनी किए गए सरकारी सेवक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की अथवा राज्य की किन्हीं संघटक इकाई की अस्थायी सेवा में कम से कम छह मास तक की कालावधि तक निरन्तर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(पांच) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्त कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :- "भूतपूर्व सैनिक" से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में किसी एक प्रवर्ग का रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छह माह की निरन्तर कालावधि तक नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने अथवा सरकारी सेवा में नियोजन हेतु आवेदन देने की तारीख से, अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व तक मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छँटनी की गई हो अथवा जो अतिशेष घोषित किया गया हो :-

- (1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;
- (2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो दूसरी बार नियोजित किये गये थे, और जो निम्न कारणों से सेवोन्मुक्त कर दिये गये हों :-

- (क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर या
 (ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण कर लेने पर।
- (3) मद्रास सिविल इकाई के भूतपूर्व कार्मिक।
- (4) संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किए गए अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक), जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं।
- (5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छह माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवोन्मुक्त किया गया हो।
- (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो।
- (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं।
- (8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने के परिणामस्वरूप घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया हो।
- (घ) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबन्ध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये सामान्य उच्चतर आयु सीमा अधिकतम दस वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (ङ) विधवा, निस्सहाय एवं तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (च) उन अभ्यर्थियों की, जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारिका हैं, उच्चतर आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (छ) आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन किसी दम्पति के सवर्ण श्रेणी सहयोगी की सामान्य उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक पुरस्कृत शिथिलनीय होगी;
- (ज) विक्रम पुरस्कार धारक, अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (झ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश राज्य निगमों/मण्डलों के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा सामान्य वर्ग 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए;

- (ज) नगर सेना (होमगार्ड्स) के स्वयं सेवी नगर सैनिकों एवं नान कमीशन्ड अधिकारियों की, उनके द्वारा पूर्ण की गई नगर सेना सेवा की अवधि के लिए उच्चतर आयु सीमा 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु सामान्य वर्ग 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए;
- (ट) विकलांग (निःशक्तजन) अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु सीमा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों/निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी।
- टिप्पणी :- (1) ऐसी अभ्यर्थी, जिन्हें उपर्युक्त उपनियम 8 (एक) (ग) (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन चयन के लिए पात्र पाये गये हो, यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् परीक्षा/चयन/साक्षात्कार के पहले अथवा बाद में सेवा से त्याग पत्र देते हैं तो वे नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। तथापि यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छँटनी की जाए तो वे पात्र बने रहेंगे। किसी भी अन्य मामले में आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जाएंगी।
- (2) विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन/साक्षात्कार में बैठने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी चाहिए।
- (2) शैक्षणिक अर्हताएं :- अभ्यर्थी के पास अनुसूची "तीन" में दर्शाई गई सेवा के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए, परन्तु-
- (क) आयोग आपवादिक मामलों में, सरकार की सिफारिश पर, किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा, जो यद्यपि इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता न रखता/रखती हो, किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं/विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हों, जो आयोग की राय में अभ्यर्थी की परीक्षा में प्रवेश को न्यायोचित ठहराता हो;
- (ख) ऐसे अभ्यर्थियों पर भी जो अन्यथा अर्ह हैं, किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधि प्राप्त की हो, जिन्हें सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता नहीं दी गई है, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार, परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिए विचार किया जा सकेगा।
- (3) फीस :- अभ्यर्थी को आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा।

9. **निरर्हता :-** (1) किसी अभ्यर्थी की ओर से उसकी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को आयोग/ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन/साक्षात्कार में उसके उपस्थित होने के लिए निरर्हता माना जा सकेगा।
- (2) ऐसा अभ्यर्थी किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा/ होगी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो।
- (3) कोई अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित सन्तान हों, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा/होगी।

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा/होगी।

10. **अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अन्तिम होगा :-** परीक्षा/चयन/साक्षात्कार में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अपात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अन्तिम होगा और किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसे आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/चयन/साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।

11. **प्रतियोगिता परीक्षा/ चयन द्वारा सीधी भर्ती :-**

- (1) (एक) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अन्तरालों से ली जायेगी, जैसा कि आयोग समय-समय पर अवधारित करे।
- (दो) आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा, सरकार के परामर्श से समय-समय पर संचालित की जायेगी।
- (2) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे।
- (3) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे।

- (4) इस प्रकार आरक्षित रिक्त पदों को भरते समय उन अभ्यर्थियों की, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जाएगा जिस क्रम में उनके नाम, नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आए हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उसका सापेक्षित स्थान (रैंक) कुछ भी क्यों न हो।
- (5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों को, जिन्हें समिति द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा जाय, यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।
- (6) सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से निःशक्त/ विकलांग अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे।
- (7) सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे।
- (8) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए अपेक्षित कालावधि का न्यूनतम अनुभव एक आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है

और आयोग की राय में यह पाया जाए कि आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए अपेक्षित न्यूनतम अनुभव रखने वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे वहां आयोग सरकार से परामर्श के पश्चात्, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अनुभव की ऐसी शर्तों को शिथिल कर सकेगा।

- (9) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी उनके लिये आरक्षित समस्त रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो सके तो शेष रिक्तियां किसी अन्य प्रवर्ग से नहीं भरी जायेंगी और रिक्तियां यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये अगले चयन के लिए आरक्षित रखी जाएंगी।

12. आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची :-

- (1) आयोग उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में एक सूची जो ऐसे स्तर से अर्ह हों जैसा कि आयोग अवधारित करे तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित

जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का समुचित ध्यान रखते हुये, आयोग द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया है, योग्यता के क्रम में तैयार करेगा और सरकार को अग्रेषित करेगा। यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जायेगी।

- (2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये, उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिसमें कि उनके नाम सूची में आए हों।
- (3) चयन सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान नहीं हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।
- (4) चयन सूची, आयोग द्वारा जारी किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक विधिमान्य रहेगी।

13. परिवीक्षा :-

- (1) सेवा में सीधी भर्ती किए गए प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा।
- (2) सरकार, यदि आवश्यक समझे तो परिवीक्षा की कालावधि को एक वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए बढ़ा सकेगी।
- (3) सरकार, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान या बढ़ाई गई परीवीक्षा की कालावधि के दौरान या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर पुरुष/महिला की सेवाओं को समाप्त कर सकेगी यदि उसकी राय में ऐसे पुरुष/महिला के उपयुक्त अधिकारी बनने की संभावना नहीं है।

14. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :- (1) पदोन्नति (✓समयमान वेतन) के लिए पात्र अभ्यर्थियों का प्रारम्भिक चयन करने हेतु अनुसूची-चार में यथा उल्लेखित सदस्यों की एक समिति गठित की जायेगी ;

परन्तु यदि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले (✓समय मान वेतन दिये जाने वाले) पदों के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को छोड़कर, नामनिर्दिष्ट किये गये अन्य सदस्यों में से कोई

सदस्य अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो उसी प्रारिथति का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक सदस्य पदोन्नति/छानबीन समिति में सम्मिलित किया जाएगा और पदोन्नति/छानबीन समिति के सदस्यों की संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जायेगी।

- (2) अनुसूची-चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की उसके कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट पदों पर पदोन्नति हेतु, अभ्यर्थी की पात्रता, चयन प्रक्रिया तथा पदोन्नति द्वारा नियुक्ति, मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 में यथाविनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार होगी।
 - (3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन : नियुक्ति प्राधिकारी, उसके द्वारा जारी किये जाने वाले पदोन्नति आदेश पर इस आशय का प्रमाण पत्र पृष्ठांकन करेगा कि उसने मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के उपबंधों और राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के एवं नियमों के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया है और उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।
 - (4) समिति की बैठक ऐसे अंतरालों से होगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी निर्देश दे, किन्तु साधारणतः एक वर्ष से अधिक का अंतराल नहीं होगा।
15. पदोन्नति के लिए पात्रता संबंधी शर्तें :- (1) उपनियम (2) के उपबंधों के अधधीन रहते हुए समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उस पद पर, जिससे पदोन्नति की जानी है कम से कम तीन/पांच वर्ष की सेवा (चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में) पूर्ण कर ली हो, जैसा कि अनुसूची-चार में विनिर्दिष्ट है और जो उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में हो।
- (2) पदोन्नति के लिये विचारण क्षेत्र हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंध लागू होंगे।
16. उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना :- (1) समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो नियम 15 में विहित शर्तों को पूरा करते हों, और जो समिति द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझे गए हो। यह सूची, चयन सूची तैयार करने की तिथि से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली

प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। उक्त सूची में पूर्वोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अनपेक्षित रिक्तियों को भरने के लिए सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की 25% संख्या तक एक आरक्षित सूची प्रस्तावित की जायेगी जिसमें कम से कम दो नाम होंगे।

- (2) चयन सूची तैयार करने के लिए मापदण्ड मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार ज्येष्ठता-सह उपयुक्तता पर आधारित होगा।
- (3) प्रत्येक सूची तैयार करते समय चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम अनुसूची-चार के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पदों में ज्येष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे।

स्पष्टीकरण :- कोई व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वतर चयन के आधार पर उन व्यक्तियों पर, जिन पर पश्चात्पूर्वी चयन में विचार किया गया था, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं करेगा।

- (4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जाएगा।
- (5) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में यह प्रस्तावित हो कि सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण किया जाए, तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी।

17. चयन सूची :-

- (1) सरकार द्वारा अन्तिम रूप से यथा अनुमोदित सूची, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में उल्लेखित किए गए पदों से, अनुसूची-चार के कॉलम (3) में उल्लिखित किए गए पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी।
- (2) चयन सूची, जब तक कि नियम 16 के उपनियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं किया जाए, साधारणतः एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगी, किन्तु उसकी विधिमान्यता उसे तैयार किये जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी;

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के निर्वहन में कोई गंभीर चूक होने की दशा में, आयोग की प्रेरणा

पर, चयन सूची का विशेष पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और समिति, यदि वह उचित समझे, ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगी।

18. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति** – (1) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की सेवा के संवर्ग (काडर) के पदों पर नियुक्ति उसी क्रम से की जायेगी, जिस क्रम में ऐसे कर्मचारियों के नाम चयन सूची में आए हों।
- (2) साधारणतः उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किए जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी गिरावट न आ गई हो जो आयोग की राय में ऐसी हो जिससे वह सेवा में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त हो गया हो।
19. **समयमान वेतनमान के लिए पात्रता की शर्तें :-**
समयमान वेतनमान की पात्रता मध्यप्रदेश राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में आगे बढ़ने के निश्चित अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु समयमान वेतनमान Time Scale Pay हेतु मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-11/1/2008/नियम/चार दिनांक 24-1-08 एवं उस पर जारी मार्गदर्शी निर्देश दिनांक 1 अप्रैल 2008, दिनांक 4 अगस्त 2008 एवं दिनांक 24 सितंबर 2008 के अनुसार होगी।
20. **निर्वचन :-** यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।
21. **शिथिलीकरण :-** इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की, ऐसी रीति में, जो उसे न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण प्रतीत होती हो, कार्रवाई करने की शक्ति को सीमित या कम करती है; परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा, जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उस व्यक्ति के लिए कम अनुकूल हो।
22. **व्यावृत्ति :-** इन नियमों में की कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर बनाए गए नियमों या जारी किए अनुदेशों/ आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये, उपबंध किये जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण, तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।
23. **निरसन :-** इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में, मध्यप्रदेश राज्य वन (राजपत्रित) संबद्ध सेवा नियम, 1987 एतद् द्वारा अधिक्रमित किये जाते हैं।

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किये गये किसी आदेश या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

अनुसूची—“एक”
(नियम—5 देखिये)

मध्यप्रदेश राज्य वन (राजपत्रित) संबद्ध सेवा
वन विभाग

अनु क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की संख्या			वर्गीकरण	वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	योग		
1	2	3	4	5	6	7
1.	विधिक सलाहकार	—	1	1	प्रथम श्रेणी	37400—67000 + 8700 ग्रेड—पे
2.	अनुसंधान अधिकारी, प्रोजेक्ट टाईगर, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मण्डला	—	1	1	प्रथम श्रेणी	15600—39100 + 6600 ग्रेड—पे
3.	प्रचार अधिकारी	1	—	1	प्रथम श्रेणी	15600—39100 + 6600 ग्रेड—पे
4.	संचालक (बजट)	1	—	1	प्रथम श्रेणी	म.प्र. वित्त एवं लेखा सेवा के अनुसार
5.	उप संचालक (बजट)/ वित्त अधिकारी	6	—	6	प्रथम श्रेणी	म.प्र. वित्त एवं लेखा सेवा के अनुसार
6.	सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी	1	9	10	द्वितीय श्रेणी	15600—39100 + 5400 ग्रेड—पे
7.	लेखा अधिकारी / प्रशासकीय अधिकारी	13	7	20	द्वितीय श्रेणी	15600—39100 + 5400 ग्रेड—पे
8.	तकनीकी अधिकारी/ प्रोग्रामर	1	—	1	द्वितीय श्रेणी	15600—39100 + 5400 ग्रेड—पे
9.	सहायक संचालक, प्रचार	1	—	1	द्वितीय श्रेणी	15600—39100 + 5400 ग्रेड—पे
10.	सहायक शल्य चिकित्सक	2	—	2	द्वितीय श्रेणी	15600—39100 + 5400 ग्रेड—पे
11.	वरिष्ठ निज सहायक	11	4	15	द्वितीय श्रेणी	9300—34800 + 4200 ग्रेड—पे

अनुसूची-“दो”
(नियम-6 देखिये)

मध्यप्रदेश राज्य वन (राजपत्रित) संबद्ध सेवा

वन विभाग

अ.क्र.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या की प्रतिशतता			अभ्युक्तियां
			सीधी भरती द्वारा	पदोन्नति /समयमान द्वारा	अन्य विभाग से व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा	
1	2	3	4	5	6	7
1.	विधिक सलाहकार	1	--	--	100 %	विधि विभाग से
2.	अनुसंधान अधिकारी, प्रोजेक्ट टाईगर, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मण्डला	1	100 %	--	--	--
3.	प्रचार अधिकारी	1	--	100 %	--	सहायक संचालक प्रचार से पदोन्नति द्वारा
4.	संचालक (बजट)	1	--	--	100 %	म.प्र. वित्त तथा लेखा सेवा से
5.	उप संचालक (बजट)/ वित्त अधिकारी	6	--	--	100 %	म.प्र. वित्त तथा लेखा सेवा से
6.	लेखा अधिकारी / प्रशासकीय अधिकारी	20	33 ⅓ %	66 ⅔ %	--	1. पदोन्नति हेतु अनुसूची 4 नियम (15) के अनुसार 2. सीधी भरती :- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला/ विज्ञान (जिसमें तकनीकी तथा इंजीनियरिंग उपाधि सम्मिलित है।)/वाणिज्य/कृषि/वानिकी में स्नातक उपाधि।
7.	तकनीकी अधिकारी/ प्रोग्रामर	1	--	100 %	--	सहायक प्रोग्रामर से पदोन्नति द्वारा
8.	सहायक संचालक, प्रचार	1	100 %	--	--	--
9.	सहायक शल्य चिकित्सक	2	--	--	100 %	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में सहायक शल्य चिकित्सक
10.	सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी	10	--	--	100 %	पशु चिकित्सा विभाग में सहायक पशु चिकित्सक
11.	वरिष्ठ निज सहायक	15	--	100 %	--	निज सहायक से पदोन्नति / समयमान वेतनमान नियम 6 (1) (ख) के अनुसार

अनुसूची-“तीन”

(नियम-8 देखिये)

मध्यप्रदेश राज्य वन (राजपत्रित) संबद्ध सेवा
वन विभाग

अ. क्र.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	विहित शैक्षणिक अर्हता
1	2	3	4	5
1.	अनुसंधान अधिकारी, प्रोजेक्ट टाईगर, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मण्डला	21 वर्ष	28 वर्ष	(1) अनिवार्य – वनस्पति शास्त्र/प्राणी शास्त्र/वन्य जीव प्रबंध या वन्य जीव परिस्थितिकी/वानिकी में पी.एच.डी. (2) अनुभव – पी.एच.डी. के पश्चात् वन्य जीव प्रबंध या वन्य जीव परिस्थितिकी में अनुसंधान कार्य (3) अधिमान – वानिकी तथा वन्य जीव प्रबंध में बुनियादी प्रशिक्षण तथा कार्य अनुभव।
2.	लेखाधिकारी/प्रशासकीय अधिकारी	21 वर्ष	28 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला/विज्ञान (जिसमें तकनीकी तथा इंजीनियरिंग उपाधि सम्मिलित है।)/वाणिज्य/कृषि/वानिकी में स्नातक उपाधि।
3.	सहायक संचालक, प्रचार	21 वर्ष	28 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एस.सी. तथा प्रेस रिपोर्टर के रूप में 3 वर्ष का अनुभव

अनुसूची—“चार”

(नियम—15 देखिए)

मध्यप्रदेश राज्य वन (राजपत्रित) संबद्ध सेवा

वन विभाग

अ. क्र.	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जायेगी	उस पद का नाम जिस पद पर पदोन्नति की जायेगी/समयमान वेतन दिया जायगा	पदोन्नति/ समयमान	पदोन्नति/ समयमान वेतन हेतु सेवा का अनुभव	पदोन्नति/ समयमान वेतन हेतु समिति सदस्यों का पदनाम
1	2	3	4	5	6
1.	कार्यालय अधीक्षक	लेखा अधिकारी / प्रशासकीय अधिकारी	पदोन्नति	3 वर्ष	1.अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उसका नामनिर्देशिती – अध्यक्ष 2.अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन विभाग – सदस्य 3.प्रधान मुख्य वन संरक्षक – सदस्य अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का नामनिर्देशिती – सदस्य
2.	सहायक प्रोग्रामर	तकनीकी अधिकारी/ प्रोग्रामर	तदैव	5 वर्ष	तदैव
3.	सहायक संचालक, प्रचार	प्रचार अधिकारी	तदैव	5 वर्ष	तदैव
4.	निज सहायक	वरिष्ठ निज सहायक	पदोन्नति / समयमान	3 वर्ष / समयमान वेतन हेतु नियुक्ति दिनांक से 20 वर्ष पूर्ण होने पर	तदैव

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 16th May 2012

No. F-3-83-2001-10-1 In exercise of the powers conferred by the proviso to Article-309 of the Constitution of India, The Governor of Madhya Pradesh, is pleased to make the following rules relating to the recruitment and conditions of services of the members of the Madhya Pradesh State Forest (Gazetted) Allied Service, namely:-

RULES

1. **Short title and commencement** :- (1) These rules may be called the Madhya Pradesh State Forest (Gazetted) Allied Service Recruitment Rules, 2011.
(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.
2. **Definitions** :- In these rules, unless the context otherwise requires :
 - (a) "Appointing Authority" in respect of the service or post means Government of Madhya Pradesh.
 - (b) "Commission" means the Madhya Pradesh Public Service Commission.
 - (c) "Examination" means the competitive examination conducted for the recruitment to the service under rule-11.
 - (d) "Government" means the Government of Madhya Pradesh.
 - (e) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh.
 - (f) "Schedule" means a schedule appended to these rules.
 - (g) "Scheduled Caste" means any caste, race or tribe or part of or group within caste, race or tribe specified as Scheduled Caste with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India.
 - (h) "Scheduled Tribe" means any tribe or tribal community or part of or groups within tribe or tribal community specified as Scheduled Tribe with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India.
 - (i) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide notification number F.8-5-XXV-4-84 dated 26th December, 1984 as amended from time to time.
 - (j) "Service" means Madhya Pradesh State Forest (Gazetted) Allied Service.
 - (k) "State" means the State of Madhya Pradesh.
3. **Scope and Application** :-

Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General conditions of service) Rules, 1961,

these rules shall apply to every member of the service, as mentioned in Schedule-I.

4. Constitution of the Service :-

The service shall consist of the following persons, namely :

- 1) Persons, who at the commencement of these rules are holding in officiating capacity or substantively the posts specified in the Schedule-I;
- 2) Persons recruited to the service before the commencement of these rules.
- 3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. Classification, Scale of Pay etc. :-

The classification of the service, the scale of pay attached thereto and the number of posts included in the service shall be in accordance with the provisions contained in the Schedule-I;

Provided that the Government may from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service either on permanent or temporary basis.

6. Method of Recruitment :-

- 1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:
 - (a) By direct recruitment, through competitive examination or by interview or by both ;
 - (b) By promotion/ Time scale of member of the service, as mentioned in Schedule IV;
 - (c) By transfer/ deputation/ absorption of persons holding such posts either substantive or officiating in other services which are specified for this service.
- 2) The number of persons recruited under clause (a), clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not, at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of posts as specified in Schedule-I.
- 3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment, and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Commission.
- 4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Appointing Authority, the exigencies of the service so require, the Appointing Authority may, with prior concurrence of the General Administration Department with respect to the jurisdiction of post or service of Public Service Commission, adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

7. Appointment to the Service :-

All appointments to the service after the commencement of these rules shall be made by the Commission and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in the rule 6.

8. Conditions of eligibility for direct recruitments :

In order to be eligible to compete for the examination /selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely :

(1) Age :-

- (a) The candidate must have attained the age as specified in column (3) of Schedule III and not have attained the age as specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January next, following the date of commencement of the examination/ selection.
- (b) If the candidate belongs to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, the upper age limit shall be relaxable by maximum 5 years.
- (c) The upper age limit shall also be relaxable, in respect of candidate, who are or have been employees of the Madhya Pradesh Government, to the extent and subject to the conditions specified below :-
 - i. a candidate who is a permanent Government Servant the age should not be more than 40 years; in case of General class and 45 years in case of SC, ST & OBC classe candidates.
 - ii. A candidate holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 40 years of age in he/she belongs to Genereal classe and not more than 45 years in he/she belongs to SC, ST, & OBC class. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in Project Implementation Committee.
 - iii. A candidate who is retrenched Government servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him to a maximum limit of 7 years, even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation : The word "Retrenched Government Servant" denote a person, who was in temporary service of the State or any of the constituent units for a continuous period of not less than 6 months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or application made otherwise for employment in Government Service.

- iv A candidate, who is an Ex-Serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense services previously rendered by him.

Provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

Explanation : The term "Ex-serviceman" denotes a person, who belongs to any of the following categories and who was employee under the Government of India, for a continuous period not less than 6 months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or application made otherwise for employment in Government Service :-

- (1) Ex-servicemen who were retrenched under mustering out concessions;
 - (2) Ex-servicemen who were employed for the second time and who were discharged on -
 - (a) after completion of short term contract ; or
 - (b) fulfilling the condition of enrollment ;
 - (3) Ex-personnel of Madras Civil Unit ;
 - (4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract including short service Regular Commissioned Officers ;
 - (5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies ;
 - (6) Ex-servicemen invalidated out of service ;
 - (7) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers,
 - (8) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gunshot, wounds etc.
- (d) The upper age limit shall be relaxable by ten years in case of women candidate in accordance with the provisions of Madhya Pradesh Civil Services (Special provisions for appointment of Women) Rules, 1997.
 - (e) The general upper age limit shall be relaxable upto five years in respect of the widow, destitute and divorced women candidates ;
 - (f) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of two years for those candidates who are holding green cards under the Family Welfare Programme ;
 - (g) The upper age limit shall be relaxable upto five years in respect of awarded general category partner of a couple under the Inter Caste

Marriage Incentive programme of Tribal, Scheduled Castes and Backward Class Welfare Department ;

- (h) The upper age limit shall be relaxable up to five years in respect of the "Vikram Award" holder candidates ;
- (i) The upper age limit shall be relaxable upto 40 years of age in respect of General class candidates and 45 years in cas of SC, ST & OBC class, who are employees of Madhya Pradesh State Corporations/ Boards ;

- (j) The upper age limit shall be relaxable for Home Guards and non-commissioned officers for the period of service rendered by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 40 years in case of General class and 45 years in cas of SC, ST & OBC class.
- (k) The upper age limit shall be relaxable to the disabled candidates, as per the orders/ direction issued by the State Government from time to time.

NOTE: (1) Candidates, who are found eligible for selection under the age concessions mentioned in rule 8 (1) (c) (i) and (ii) above will not be eligible for appointment, if after submitting the application, they resign from the service either before or after examination/ selection. They will however, continue to be eligible, if they are retrenched from the service or post after submitting the application. In no other case will these age limits be relaxed.

(2) Departmental candidates must obtain previous permission of their Appointing Authority to appear for the examination/ selection.

(2) Educational Qualifications : A candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule III, provided that -

(a) In exceptional cases the Commission may, on the recommendation of the Government, treat a candidate as qualified, who though not possessing any of the qualifications prescribed in this clause has passed examination conducted by another Institutions/Universities by a Standard which, in the opinion of the Commission, justifies the admission of the candidate to the examination.

(b) Candidates who are otherwise qualified but have obtained degrees from foreign universities not specifically recognized by the Government may also be admitted to the examination/ selection at the discretion of the Commission.

(3) Fees : The Candidates must pay the fees prescribed by the Commission/ Appointing Authority.

9. Disqualification :-

- (1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his/ her candidature by any means may be treated as disqualification by the Commission/ Appointing Authority for appearing in the examination/ selection / interview.
- (2) No candidate shall be eligible for appointment to service or post, who has married before the minimum age fixed for marriage.
- (3) No person shall be eligible for appointment to service or post, who has more than two living children, one of whom is born on or after 26th January, 2001.

Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to a service or post, who has already one living child and next delivery takes place on or after the 26th January, 2001, in which two or more than two children are born.

10. Commission's decision about the eligibility of the candidates should be

Final :- The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for appearing in the examination/selection/interview shall be final and no candidate, to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission shall not be allowed to appear in the examination/ selection/ interview.

11. (1) Direct recruitment by competitive examination :-

- (i) The competitive examination for recruitment to the Service shall be held at such intervals as Commission, may from time to time, determine.
 - (ii) The competitive examination shall be held by the Commission in consultation with the Government from time to time.
- (2) There shall be reserved posts for the candidates belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of the direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon aur Anya Pichhade Vargon ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and as per orders issued by the State Government from time to time.
 - (3) There shall be reserved posts for women candidates, in accordance with the provision of Madhya Pradesh Civil Services (Special Provision for Appointment of women) Rules, 1997.
 - (4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are member of the Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule-12, irrespective of their relative rank as compared with other candidates.
 - (5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes considered by the Committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be;
 - (6) There shall be reserved posts for physically handicapped/ disabled candidates in accordance with the directions of the General Administration Department.
 - (7) There shall be reserved posts for ex-serviceman in accordance with the directions of General Administration Department.
 - (8) In such cases where requisite minimum experience has been prescribed as an essential condition for the post to be filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of the Commission that sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes may not be available, the Commission may relax such condition of experience to the candidates of Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward classes after consultation with the Government.

- (9) If sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes are not available for filling all the vacancies reserved for them, the remaining vacancies shall not be filled from other candidates and vacancies as it shall be kept reserved for candidates belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes for next selection.

12. List of candidates recommended by the Commission :-

- (1) The Commission shall prepare and forward a list to the Government, arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standard as determined by the Commission, and the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes who though not qualified by that standard and are declared by the commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for the general information.
- (2) Subject to the provisions of these rules and of the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies from the list in the order in which their names appear in the list.
- (3) The inclusion of a candidate's name in the select list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.
- (4) The selection list shall be valid for a period of one year from the date of its issue by the Commission.

13. Probation :-

- (1) Every person directly recruited to the service shall be appointed on the probation for a period of two years.
- (2) The Government, if it feels necessary, may extend the probation for a period by not more than one year.
- (3) The Government can terminate his/ her services during the probation period, or extended probation period or at the end of it, if it is of the opinion that there is no possibility that he/ she can become suitable officer of the service.

14. Appointment by Promotion/ Time Scale :-

- (1) There shall be constituted a committee consisting of the members as mentioned in Schedule IV for making preliminary selection for promotion for eligible candidates :

Provided that if the nominated members other than the members presiding the Departmental Promotion Committee/ Screening Committee in respect of the post to be filled up by promotion/ time scale do not represent the category of Scheduled Castes, or Scheduled Tribes, then one member belonging to Scheduled Castes, or Scheduled Tribes category of the same status shall be included in the promotion/ screening committee and the number of members of promotion/ screening committee shall be extended to that limit.

- (2) For promotion of the members of service specified in column (2) of Schedule IV to the post as specified in column (3) thereof, the eligibility of candidate, selection process and appointment by promotion shall be in accordance with provisions as specified in Madhya Pradesh Public Services (Promotion) Rules, 2002.
- (3) Certification by the Appointing Authority : Appointing Authority shall endorse on the promotion orders to be issued by him a certificate to the effect that he has complied with the provisions of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon ke Liye Arakshan) Adhinyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002 and instructions issued in the light of the provisions of the said Act and rules made by the State Government and that he has full cognizance of provisions of sub-section (1) of section 6 of the said Act.
- (4) The committee shall meet at such intervals as the Appointing Authority may direct but ordinarily not exceeding one year.

15. Conditions of eligibility for Promotions :-

- (1) Subject to the provisions of sub-rule (2) the committee shall consider the cases of all persons who on the 1st day of January of that year had completed not less than Three/Five years of service whether substantively or in officiating capacity on the post from which promotion is to be made as specified in Schedule IV, and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of Sub-rule (2)
- (2) The zone of consideration for promotion shall be in accordance with the provisions of Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002.

16. Preparation of List of suitable candidates :-

- (1) The Committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in rule 15 and are held by the committee as per Madhya Pradesh Public Service Commission Rules 2002. to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the vacancies anticipated on account of retirement/ promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list consisting of 25 percent of the number of persons included in the said select list having at least 2 names shall also be proposed to meet the unforeseen vacancies occurring during the course of the aforesaid period.
- (2) The criteria for preparation of select list shall be based on seniority subject to fitness as per provisions of the Madhya Pradesh Public Services (Promotion) Rules, 2002.
- (3) The names of persons included in the select list shall be arranged in order of seniority in the service or posts as specified in column (2) of Schedule IV at the time of preparation of each select list;

Explanation : The person, whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of list, shall have no claim to seniority over those persons considered in subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

- (4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.
- (5) If in the process of selection review or revision, it is proposed to supersede any member of the service, the committee shall record its reasons for the proposed supersession.

17. Select List :-

- (1) The list as finally approved by the Government shall be the select list for promotion of the members of the service from the posts mentioned in column (2) of Schedule IV to the post specified in column (3) of the said Schedule.
- (2) The select list shall ordinarily be in force for a period of one year until it is reviewed or revised in accordance with Sub-rule (4) of Rule-16, but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation.

Provided that, in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list, may be made at the instance of the Commission and the committee may, if it deems fit, remove the name of such person from the select list.

18. Appointment to the Service from Select List :-

- (1) Appointment of the persons included in the Select List, to the posts borne on the cadre of the Service shall follow the order, in which the name of such persons appears in the Select List.
- (2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Committee before the appointment of a person whose name is included in the select list, in the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment, there occurs any deterioration in his work, which, in the opinion of the Commission is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

19. Conditions for eligibility to Time Scale Promotion :-

The eligibility criteria for time scale promotion shall be as per the directions issued by the M.P. Finance Department Memo No. F-11/1/2008/Rules/Four dated 24th Jan 2008 and directives issued as per memo dated 1 April 2008, 4 August 2008 and 24 Sept 2008.

20. Interpretation :-

If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to Government, whose decision thereon shall be final.

21. Relaxation :-

Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person, to whom these rules apply, in such manner as may appear to it to be just and equitable.

Provided that no case shall be dealt with in any manner less favorable to a person than that is provided in these rules.

22. Savings :-

Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward

Classes in accordance with the rules made or instructions/ orders issued by the State Government from time to time in this regard.

23. Repeal :-

The Madhya Pradesh State Forest (Gazetted) Allied Service Recruitment Rules, 1987 is hereby repealed in respect of matters covered by these rules; Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.

SCHEDULE – "I"

(See Rule – 5)

MADHYA PRADESH STATE FOREST (GAZETTED) ALLIED SERVICE FOREST DEPARTMENT

S. N.	Name of Post included in the service	Number of Posts			Classification	Scale of Pay
		Permanent	Temporary	Total		
1	2	3	4	5	6	7
1	Legal Advisor	-	1	1	Class-I	14300-18300
2	Research Officer, Project Tiger, Kanha National Park, Mandla	-	1	1	Class-I	10000-325-15200
3	Publicity Officer	1	-	1	Class-I	10000-325-15200
4	Director (Budget)	1	-	1	Class-I	According to M.P. Finance and Account Service
5	Dy. Director (Budget) Finance Officer	6	-	6	Class-I	According to M.P. Finance and Account Service
6	Assistant Veterinary Surgeon	1	9	10	Class-II	15600-39100 + 5400 G.Pay
7	Accounts Officer/ Administrative Officer	13	7	20	Class-II	15600-39100 + 5400 G.Pay
8	Technical Officer / Programmer	1	-	1	Class-II	15600-39100 + 5400 G.Pay
9	Assistant Director Publicity	1	-	1	Class-II	15600-39100 + 5400 G.Pay
10	Assistant Surgeon	2	-	2	Class-II	15600-39100 + 5400 G.Pay
11	Senior Personal Assistant	11	4	15	Class-II	9300-34800 + 4200 G.Pay

SCHEDULE – “II”

(See Rule – 6)

MADHYA PRADESH STATE FOREST (GAZETTED) ALLIED SERVICE FOREST DEPARTMENT

S. N.	Name of Post included in the service	Total No. of Post	Percentage of the number of duty posts to be filled in			Remark
			Direct recruitment	By promotion	By transfer of persons from other department	
1	2	3	4	5	6	7
1	Legal Advisor	1	-	-	100%	By Law Department
2	Research Officer Project Tiger Kanha National Park Mandla	1	100%	-	-	-
3	Publicity Officer	1	-	100%	-	By Promotion from Assistant Director Publicity
4	Director (Budget)	1	-	-	100%	By M.P.Finance & A/C Service
5	Dy. Director (Budget) / Finance Officer	6	-	-	100%	By M.P.Finance & A/C Service
6	Accounts Officer / Administrative Officer	20	33 $\frac{1}{3}$ %	66 $\frac{2}{3}$ %	-	1. For Promotion as per Schedule -IV Rules (15) 2. For Direct Recruitment :- Graduate Degree in Arts/ Science (including technical and engineering degree)/ Commerce / Agriculture / Forestry from any Recognized University.
7	Technical Officer/ Programmer	1	-	100%	-	-
8	Assistant Director Publicity	1	100%	-	-	-
9	Assistant Surgeon	2	-	-	100%	Assistant Surgeon in Public health & family welfare Department.
10	Assistant Veterinary Officer	10	-	-	100%	Assistant Veterinary Surgeon in Veterinary Department.
11	Senior Personal Assistant	15	-	100 %	-	Promotion from the post of Personal Assistant/ Time Scale as per rules 6 (1)(b).

SCHEDULE – “III”

(See Rule – 8)

MADHYA PRADESH STATE FOREST (GAZETTED) ALLIED SERVICE
FOREST DEPARTMENT

S.N.	Name of Post included in the service	Minimum Age	Maximum Age	Prescribed Educational Qualification
1	2	3	4	5
1	Research Officer, Project Tiger, Kanha National Park, Mandla	21 years	28 years	(1) Essential - Ph.D. in Botany/ Zoology /Wild Life Management/ Wild Life Ecology / Forestry. (2) Experience - After Ph.D experience in Wild Life Management or Wild Life Ecology research. (3) Preference - Basic Training in Forestry and Wild Life Management & Work experience
2	Accounts Officer / Administrative Officer	21 years	28 Years	Graduate Degree in Arts/ Science (including technical and engineering degree)/ Commerce/ Agriculture / Forestry. from any Recognized University
3	Assistant Director Publicity	21 years	28 Years	B.Sc. from any recognized university and 3 years experience as press reporter

SCHEDULE – “IV”
(See Rule – 15)

**MADHYA PRADESH STATE FOREST (GAZETTED) ALLIED SERVICE
FOREST DEPARTMENT**

S. N.	Name of Post from which promotion is to be made	Name of Post to which Promotion/ Time Scale is to be made	Promotion / Time Scale	Service experience for promotion/Time Scale	Note (Composition of Committee) for Promotion/Time Scale
1	2	3	4	5	6
1.	Office Superintendent	Accounts Officer / Administrative Officer	Promotion	3 years	(i) Chairman of Public service commission or his nominee. (ii) Adll. Chief Secretary/Principal Secretary of MP Govt. Forest Dept. Member (iii) Principal Chief Conservator of Forest Member (iv) Nominee of SC/ ST Category Member
2.	Assistant Programmer	Technical Officer/ Programmer	--"--	5 years	--"--
3.	Assistant Director Publicity	Publicity Officer	--"--	5 years	--"--
4.	Personal Assistant	Sr. Personal Assistant	Promotion/ Time Scale	3 years/ For time scale pay 20 years from the date of Appointment.	--"--

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.